Regd. No. CHD/0093/2012 2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, FEBRUARY 21, 2014
(PHALGUNA 2, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 21st February, 2014

No. 5—HLA of 2014/6.—The Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill, 2014 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 5—HLA of 2014

THE HARYANA GOOD CONDUCT PRISONERS (TEMPORARY RELEASE) AMENDMENT BILL, 2014

A

BILL

further to amend the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act, 1988.

Be it enacted by the Legislative of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Haryana Good Conduct Prisoners Short title.

(Temporary Release) Amendment Act, 2014.

Amendment of section 5A of *Haryana Act 28 of* 1988.

2. For section 5A of the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act, 1988, the following section shall be substituted, namely :—

"5A. Special provisions for temporary release of hardcore prisoners.- (1) Notwithstanding anything contained in sections 3 and 4, no hardcore prisoner shall be entitled to temporary release or furlough:

Provided that a hardcore prisoners may be released on temporary basis to attend the marriage of his grand child or sibling, or death of his grand parent, parent, grand parent-in-laws, parent-in-laws, sibling, spouse, child or grand child under an armed police escort, for a period of forty-eight hours, to be decided by the concerned Superintendent of Jail:

Provided further that a hardcore prisoner may be released on temporary basis to attend the marriage of his daughter for ninety six hours and for the marriage of his son for seventy-two hours under an armed police escort, to be decided by the concerned Superintendent of Jail. He shall intimate within twenty-four hours, the concerned District Magistrate and Superintendent of Police in this regard with full particulars of the hardcore prisoner being so released.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a hardcore prisoner, who has not been awarded death penalty, may be entitled for temporary release or furlough only if he has completed five years of sentence as a convict in jail excluding the under trial period and has not been awarded any minor or major penalty by the Superintendent of Jail, as judicially appraised by the concerned District and Sessions Judge:

Provided that if the prisoner so released under this sub-section violates any condition of temporary release or furlough, he shall be debarred from such release in future.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Act, 2012 & 2013 was notified on 01.10.2012 & 02.01.2013 respectively in order to prevent commission of crimes during the period of parole/furlough and to reduce/ eliminate the possibility of absconding during parole/furlough. Beside, Criminal Law Amendment Act, 2014 has been enforced to clarify provisions of section 5 A for special provisions for grant of Temporary Release and furlough for "hardcore prisoner" there is need to further amend the Act.

Hence the Bill.

PT. SHIV CHARAN LAL SHARMA,
Minister of State for
Labour & Employment, Haryana.

Chandigarh :
The 21st February, 2014.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2014 का विधेयक संख्या 5–एच.एल.ए.

हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) संशोधन विधेयक, 2014

हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम, 1988, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) संशोधन अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है।

1988 का हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 5क का संशोधन।

2. हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम, 1988, की धारा 5क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"5क कट्टर बन्दियों की अस्थाई रिहाई के लिए विशेष उपबन्ध.–(1) धारा 3 तथा 4 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी कट्टर बन्दी अस्थाई रिहाई या फरलो का हकदार नहीं होगा :

परन्तु किसी कट्टर बन्दी को, सम्बन्धित जेल अधीक्षक द्वारा विनिश्चित की जाने वाली अड़तालीस घण्टे की अवधि के लिए, आर्मड पुलिस एस्कोर्ट के अधीन, उसके पोता–पोती या सहोदर भाई या बहन के विवाह, या उसके दादा–दादी, माता–पिता, दादा ससुर–दादी सास, सास–ससुर, सहोदर भाई या बहन, पति–पत्नी, बच्चे या पोता–पोती की मृत्यु अनुष्ठान में उपस्थित होने के लिए, अस्थाई आधार पर रिहा किया जा सकता है:

परन्तु यह और कि किसी कट्टर बन्दी को, सम्बन्धित जेल अधीक्षक द्वारा विनिश्चित की जाने वाली, आर्मड पुलिस एस्कोर्ट के अधीन छियानवे घण्टे के लिए उसकी सुपुत्री के विवाह में तथा बहत्तर घण्टे के लिए उसके सुपुत्र के विवाह में उपस्थित होने के लिए, अस्थाई आधार पर रिहा किया जा सकता है। वह चौबीस घण्टे के भीतर इस सम्बन्ध में इस प्रकार रिहा किए जा रहे कट्टर बन्दी के पूर्ण ब्यौरों सहित सम्बन्धित जिला मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक को सूचित करेगा।

(2) उप–धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी कट्टर बन्दी जो मृत्यु शास्ति से दण्डित नहीं किया गया है, केवल अस्थाई रिहाई या फरलो के लिए हकदार होगा

यदि वह विचाराधीन अवधि को छोड़कर जेल में सिद्धदोष के रूप में पांच वर्ष का दण्डादेश पूर्ण कर लेता है तथा सम्बन्धित जिला तथा सत्र न्यायाधीश द्वारा न्यायिक रूप से मुल्यांकित, जेल अधीक्षक द्वारा किसी छोटी या बड़ी शास्ति से दण्डित नहीं किया गया है :

परन्तु यदि इस उप–धारा के अधीन इस प्रकार रिहा किया गया बन्दी अस्थाई रिहाई या फरलो की किसी शर्त की उल्लंघना करता है, तो वह भविष्य में ऐसी रिहाई से विवर्जित हो जाएगा।" ।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

पैरोल/फरलो की अवधि के दौरान अपराधों पर अंकुश लगाने तथा बन्दियों के फरार होने की सम्भावनाएं कम या दूर करने के लिए हरियाणा सदाचारी बन्दी (अस्थाई रिहाई) संशोधन अधिनियम, 2012 दिनांक 01.10.2012 एवं 2013 दिनांक 02.01.2013 को अधिसूचित किये गये। उक्त अधिनियम की धारा 5ए में वर्णित "कठोर श्रेणी बन्दियों" को अस्थाई रिहाई एवम् फरलो प्रदान करने के प्रावधानों को स्पष्ट व्याख्या करने हेतु अपराध कानून संशोधन अधिनियम, 2014 लागू करना आवश्यक है।

अतः बिल प्रस्तुत है।

पं० शिव चरण लाल शर्मा,
श्रम एवं रोजगार राज्यमन्त्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 21 फरवरी, 2014.

सुमित कुमार,
सचिव।

52040—H.V.S.—H.G.P., Chd